

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर.ए.एस.

उनवान

ओमप्रकाश बनाम रणजीत वगै०

दावा : घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. :- 33/2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार उपस्थित। वाद में आज दिनांक को श्री हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वादी वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। ग्राम देरवाला पटवार हल्का देरवाला स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 431/677, 452 व 453 में से केशरी पत्नी रेखाराम का नाम हजफ किया जाकर खसरा नम्बर 431/677 रकबा 0.43 है० भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर, खसरा नम्बर 452 व 453 कुल किता 2 कुल रकबा 3.19 है० में प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी की गई।



हवाई सिंह
06/12/24
(हवाई सिंह यादव) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	500	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	48	योग	00

हवाई सिंह
06/12/24
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू